देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

अधिसूचना संख्या 56 / भू अ० — दिनांक : 17/1/18

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :–**तसरिया**, थाना–**मोहनपुर**, थाना सं०–808, अंचल–**मोहनपुर**, जिला–**देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **मोहनपुर से हंसडीहा नई रेल लाईन निर्माण परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–**तसरिया**, थाना–**मोहनपुर**, थाना सं०– 808, अंचल–**मोहनपुर**, जिला–**देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.06** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है–

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10	115	रैयती	धानी–1	0.06	श्याम सुन्दर यादव पे० बालेश्वर महतो वो सुनील यादव वो सुधीर यादव वो सुमन यादव पे० शिवनाथ महतो वो जमुना प्र० यादव वो महेन्द्र प्र० यादव वो विरेन्द्र यादव वो सहदेव यादव वो पंचानन्द यादव पे० आलम महतो वो राजेन्द्र यादव वो रविन्द्र यादव पे० बलभद्र यादव वो अरूण यादव वो उमाकांत यादव पे० बसन्त लाल महतो वो विकाश कुमार वो पप्पु कुमार वो विवके कुमार पे० साधु प्र० यादव वो नन्दलाल यादव पे० संतलाल महतो वो चन्द्रशेखर यादव वो सरल कुमार यादव पे० भुवनेश्वर महतो वो केदार यादव वो दिनानाथ यादव पे० भोला नाथ यादव वो राजीव कुमार वो संजीव कुमार पे० सुरेन्द्र प्र० यादव वो शंकर यादव पे० रघुनाथ महतो वो सौरव कुमार पे० गणपति यादव वो कार्तिक यादव वो गणेश यादव वो नारायण यादव पे० भातु महतो अंश समान सा० सिंहरायडीह।	मौजा –एराजी बुतुरूआडी ०–801	मौजा–कतारामसागर नं० –802	मौजा –एराजी बुतुरूआडीह नं०–801	अर्जित दाग का अंश रकवा
				कुल रकवा–	**0.06**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर 13/01/18 | अपर समाहर्त्ता 13-01-2018 | समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर। 13/1/18

ज्ञापांक 56............/ भू अ0, देवघर, दिनांक 17/1/18

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मोहनपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पटट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, ~~मोहनपुर~~ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी <u>असाधारण/पाक्षिक</u> अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर 13/01/18 | अपर समाहर्त्ता 13-01-2018 | समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर। 13/1/18